A7
7

04
2017 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय : विवाह अधिकारी एंव अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवाह प्रार्थना पत्र सं0 /2017

प्रार्थना पत्र अ0 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापित कराये जाने बाबत पक्षकार श्री मेजरसिंह एवं मनदीपकौर

आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक : 30–05–2017

विवाह के पक्षकार प्रार्थीगण श्री मेजरसिंह पुत्र श्री मौड़ासिंह पुत्र कर्मसिंह जाति मजहबी निवासी वी.पी.ओ. बाण्डा तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर एवं मनदीपकौर पुत्री श्री बलदेवसिंह पुत्र श्री मक्खनसिंह निवासी 26 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाता जिला बीकानेर ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता श्री भारतभूषण नागपाल – विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 27–2–17 के साथ धारा 5 आशयित विवाह की सूचना प्रस्तुत कर विवाह अनुष्ठापित कराने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने स्वंय के हल्फनामे, धारा 11 के अधीन वर एवं वधु की घोषणा एवं तीन अन्य गवाहन के शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजात एवं आई0डी0 प्रूफ की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है।

आवेदन पत्र दिनांक 27–2–17 को पेश किया था। निर्धारित शुल्क दिनांक 01–03–17 को जमा हो चुका था। दिनांक 02–03–17 को तीस दिवस की आपति सूचना पत्र जारी किये गये थे। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। तीस दिवस की समाप्ति के उपरांत न तो विवाह के पक्षकार एवं न ही गवाहान उपस्थित हुए हैं और न ही उनका अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। विवाह के पक्षकार के अधिवक्ता को रूक–2 कर, बार–2 आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

विवाह के पक्षकारान के अधिवक्ता दिनांक 1–3–17 को शुल्क जमा कराने के बाद आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुए हैं ।

अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधान है कि तीन मास की अवधि के भीतर विवाह का अनुष्ठापन न होने पर सब अन्य कार्यवाहियॉ व्यपगत हुई समझी जायेंगी। ऐसी स्थिति में धारा 14 के अनुसरण में तीन माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा विवाह के पक्षकारान द्वारा विहित अवधि में उपस्थित आकर कोई कार्यवाही न करने के कारण, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह का अनुष्ठापन नहीं करवाया गया है।

फलस्वरूप, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 14 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह अनुष्ठापन कराये जाने के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही व्यपगत हो गई है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति विवाह के पक्षकार वर को रजिस्टर्ड डाक से भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 30–05–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/17

(नखतदान बारहठ)
विवाह अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner